2025/435

FORM NO. III

फर्दअहकाम

नियम (26)

बाजलास अदालत .... उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम ....

प्रभुलाल .... बनाम .... सरकार .... किस्म मु0 ....

.... मिसल न0 .... 145/2025 ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जोहुक्म की तामील में जारी हुए
30/12/25	प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखावाडा 2025 के द्वारा प्राप्त हुआ । जिसमे प्रार्थी प्रभुलाल ने प्रा० पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के हिस्से की भूमि में प्रार्थी का नाम प्रभुलाल पुत्र पीरिया नि० लक्ष्मीपुरा नाम दर्ज है। ग्राम लक्ष्मीपुरा की जमांबदी सवत् 2075 से 78 के खसरा नबर 18,55,62 में काश्तगार का नाम प्रभुलाल पुत्र पीरिया दर्ज है। जिसकी शुद्धि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त प्रकरण की संम्बधित पटवारी भू.अभि. निरीक्षक क्षेत्र द्वारा दुरस्ती करने अनुशंसा की गई । अतः तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का नाम प्रभुलाल पुत्र पीरिया के स्थान पर प्रभुलाल पुत्र पीरुलाल दर्ज किया जावे। निर्णय आज दिनाक 30/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी इटावा	